



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 309 / SEIAA/2022

Date: 29/4/22

प्रति,

श्री वसीम खान आत्मज श्री असलम खान,
निवासी दरगांव मोहल्ला, तहसील आलोट,
जिला रतलाम (म.प्र.)-457114

विषय:- प्रकरण क्र. 8911/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री वसीम खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी दरगांव मोहल्ला, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)-457114 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 385/2/2, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।


प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 719 वी बैठक दिनांक 21.04.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 707वीं बैठक दिनांक 23.02.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 5037 दिनांक 22.10.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार तीन अन्य खदान (प्रकरण नम्बर 8818/2021, 6948/2020 एवं 6769/2020) और परिलक्षित है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 7.00 हेक्टेयर होता है जिस कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः खनिज अधिकारी, रतलाम से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

उपरोक्त निर्णय अनुसार खनिज अधिकारी, रतलाम से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 305 /SEIAA/2022 दिनांक - 29/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रतलाम (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला रतलाम (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रतलाम (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी